

न्यायालय तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी--श्री गिर्राज प्रसाद बंसल तहसीलदार बयाना)

प्रोसाठ 72/20 ता० रजु 6-1-20 किरम मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 4-2-2020

सरकार

बनाम

आनंद सिंह पुत्र मरोही चाकड़ बंसल तह० बयाना जिला--भरतपुर।

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का बंसल ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि ग्राम बंसल के खसरा न० 399 रकबा 0.49 हैक्ट में से रकबा 0.04 हैक्ट किस्म भूमि आराशाह पर सम्वत 2076 में श्री आनंद सिंह पुत्र मरोही चाकड़ बंसल तह० बयाना ने गैड कर अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो शामिल भिसिल है। अप्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर अपना जबाब पेश किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 399 रकबा 0.04 हैक्ट वाले ग्राम बंसल से बेदखल किया जाता है। लगान 0.64 का 50 गुणा पैन्ल्टी राशि 321.5 रूपये से दण्डित किया जाता है। पैन्ल्टी की मांग कायमी टी0आर0ए0 हाजा से कराई जावे। पैन्ल्टी वसूली एवं फसल नीलामी हेतु पटवारी हल्का एवं भू-अभिलेख निरीक्षक को आदेश जारी हो।

पत्रावली फ़ैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफ़तर हो। निर्णय आज दिनांक 4-2-2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

इस बयाना का नया नाम
नं. 04 के पत्र नं. 16
दिनांक 21/20 को वर्ष 2019
पैन्ल्टी 321.5 रूपये तीकासी
का का नुमांने
तहसीलदार
बयाना

तहसीलदार
बयाना (भरतपुर)

